

प0स0-विधि-4(1)-सामान्य-(14-15)/

933 / 1415073

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि-अनुभाग)

लखनऊः:दिनांक ::सितम्बर 29 2014

::-शुद्धि-पत्र:-

कृपया रु0 50 लाख से अधिक की वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिये समेकित विवरणों के अनुलग्नकों (Annexure of Consolidated Details) के ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण को अनविर्य किये जाने विषयक मुख्यालय के प0स0-विधि-4(1)/926/1415072/वाणिज्य कर दिनांक 26-9-2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-9-2014 के प्रस्तर-2 की प्रथम पंक्ति में शासन के पत्रांक-क0नि0-1072/ग्यारह-2-2014-9(125)/09, दिनांक 24-12-2014 त्रुटिवश अंकित हो गया है । अतः शासन के पत्र संख्या-क0नि0-1072/ग्यारह-2-2014-9(125)/09, दिनांक 24-12-2014 के स्थान पर शासन का पत्र संख्या-क0नि0-1072/ग्यारह-2-2014-9(125)/09, दिनांक 24-9-2014 पढ़ा व समझा जाये ।

(साधना त्रिपाठी)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

S. Tripathi
(साधना त्रिपाठी)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।